न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

अ/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/1018

229

1. करिया पुत्र गनेशा अहिरवार आयु 55 वर्ष
2. छक्की पुत्र मोना अहिरवार आयु 60 वर्ष

दोनों निवासीयान- नन्ही टेहरी तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... निगराकार

बनाम

1. कल्ला पुत्र अुद्धी अहिरवार
2. खुमना पुत्र अुद्धी अहिरवार

दोनों निवासीयान-नन्ही टेहरी तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... प्रतिनिगराकार

Rcm. 23/1/18

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म.प्र. भू.रा.संहिता

निगरानी प्रतिकूल आदेश दिनांक 15.012.17 तहसीलदार बड़ागांव (राजस्व निरीक्षक) प्रकरण क्र. 10 अ 12/2017-18

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल बड़ागांव के प्रकरण क्र. 10 अ 12 /2017-18 में पारित आदेश 15.12.17 से व्यर्थित होकर समक्ष श्रीमान के प्रस्तुत हैं । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं -

1. यह कि निगराकार के स्वामित्व की भूमि खसरा 6. 222/2 एवं खसरा क्र. 223 का सीमांकन प्रतिनिगराकार द्वारा दिनांक 15.12.17 को कराया गया जिसमें निगराकारगणों को उक्त भूमि में अतिक्रमकधारी बताया गया संलग्न फील्डबुक में बटाकंन कर तरवीन कराई गई जिसे प्रतिनिगराकारगणों का अनधिकार कृत्य होने के कारण स्थिरयोग्य नहीं हैं जिससे व्यर्थित होकर निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तत हैं ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1018 करिया विरूद्ध कल्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बड़ागांव के प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	